परकोटे में दो जर्जर भवन ध्वस्त, दो बिल्डिंग सीज

सुभाष चौक में पुन: जर्जर इमारत गिरने के बाद हैरिटेज निगम की सख्ती

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सुभाष चौक इलाके में पुन: जर्जर इमारत गिरने के बाद हैरिटेज निगम प्रशासन हरकत में आया है। शुक्रवार को किशनपोल जोन ने परकोटे में दो भवनों के जर्जर हिस्से को ध्वस्त कर दिया, वहीं दो अन्य भवन को खाली करवाकर सीज किया है।

किशनपोल जोन उपायुक्त दिलीप भंभानी ने बताया कि जोन कार्यालय की ओर से जर्जर भवनों के निरीक्षण के लिए बनी कमेटी को 14 जर्जर भवनों की रिपोर्ट रैफर की गई थी, जिनमें 7 को पिछले सप्ताह ध्वस्त किया था, शुक्रवार को दो और भवन के जर्जर हिस्से को इंजीनियरिंग विंग की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सतर्कता शाखा की टीम भी मौजूद रहे। लोहा मंडी नाटाणी के रास्ते में एक अन्य जर्जर भवन के नीचे संचालित गोदामों को अस्थाई रूप से सीज गोदाम संचालक को मरम्मत कराने के लिए पाबंद किया है।

वहीं, हवामहल आमेर जोन उपायुक्त सीमा चौधरी ने आमेर इलाके में 11 जर्जर भवन का निरीक्षण किया और संभावित खतरे को देखते हुए मकान में रहने वाले लोगों को तुरंत मकान खाली कर मरम्मत कराने के लिए निर्देश दिए। वहीं जर्जर भवन को सीज किया। इस दौरान जोन उपायुक्त ने भवन मालिक से शपथ पत्र लेकर भवन के जर्जर हिस्से को तुरंत ध्वस्त करने या मरम्मत करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा हैरिटेज निगम की सतर्कता विंग ने बीते दो दिनों में परकोटे में आम रास्ते और बरामदों से अवैध अतिक्रमण हटाकर 21 ट्रक सामान जब्त किया है। साथ ही 18 हजार रुपए का चालान भी काटा गया। सतर्कता उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि परकोटे में अस्थाई अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही थी। ऐसे में सतर्कता शाखा को निर्देश देकर सड़क और बरामदे पर किए जा रहे अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिसमें पुलिस निरीक्षक श्रीमोहन मीणा में नेतृत्व में विशेष टीम गठन पर राजस्व निरीक्षक जगदीश सरधना ने अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान गलियों में भी अतिक्रमण कर रहे थड़ी ठेलो को जब्त किया गया। दो दिन में कुल 21 ट्रक सामान जब्त किया है, साथ ही 13 हजार रुपए परिवहन शुल्क लिया।

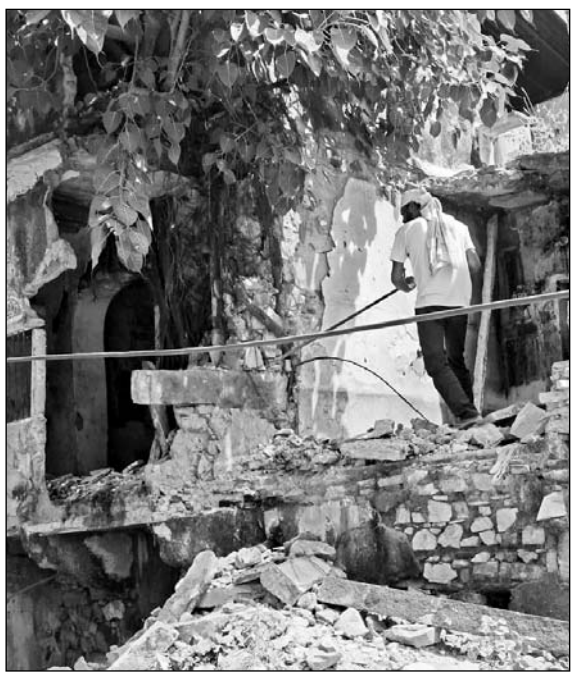

हैरिटेज नगर निगम के किशनपोल जोन की टीम ने इलाके में जर्जर इमारतों को शुक्रवार को ध्वस्त किया।

- **सतर्कता विंग ने चारदीवारी के बरामदों और सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाकर 21 ट्रक सामान जब्त किया**

800 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार द्वारा संचालित शुद्ध आहार - मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के निर्देशन में फूड सेफ्टी टीम ने आगरा रोड स्थित बीएस डेयरी पर छापा मारा। जांच में टीम को 800 किलो पनीर बरामद हुआ, जो जांच में रबर की तरह खिंचने वाला और दुर्गंधयुक्त पाया गया। टीम ने मौके पर ही पनीर के सैंपल लिए व शेष खेप नष्ट करवा दी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि डेयरी संचालक द्वारा यह पनीर हरियाणा से 190 रुपए किलो की दर पर मंगवा कर जयपुर शहर सहित आगरा, दिल्ली और अजमेर रोड स्थित रेस्टोरेंट्स व ढाबों को 230 रुपए किलो में सप्लाई किया जाता था। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश चेजारा, विनोद शर्मा और क्लर्क पुखराज शामिल रहे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने आमजन से अपील की है कि त्योहारों के समय खाद्य सामग्री खरीदते समय सावधानी बरतें तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य वस्तु या मिलावट की सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

परकोटे में चिन्हित किए 19 अवैध भवनों को तुरंत सील करें : हाईकोर्ट

अदालत ने कहा ''आदेश की पालना हैरिटेज नगर निगम कमिश्नर की निजी जिम्मेदारी होगी''

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जयपुर परकोटे के रिहायशी इलाके में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सख्ती बरतते हुए राज्य सरकार व हेरिटेज नगर निगम को हल्दियों के रास्ते में अवैध तौर पर चिन्हित 19 भवनों को सील करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने हैरिटेज नगर कमिश्नर को कहा है कि आदेश की पालना करवाना उनकी निजी जिम्मेदारी है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्देश शुक्रवार को शहर के रिहायशी क्षेत्र में व्यावासायिक गतिविधियों के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में दिया।

खंडपीठ ने आगामी सुनवाई 8 अक्टूबर तय करते हुए राज्य सरकार को कहा है कि वह आदेश की पालना में की कार्रवाई का ब्यौरा दे। सुनवाई के दौरान कुछ प्रभावितों भवन मालिकों की ओर से अदालत से उनके भवनों की सील खुलवाने का आग्रह किया। जिस पर न्याय मित्र शोभित तिवारी ने कहा कि अदालत ने पूर्व में भी पूरे 19 भवनों को ही सील करने का निर्देश दिया था। लेकिन नगर निगम ने केवल 5 भवनों को ही सील किया है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से एएजी जीएस गिल ने अदालत से समय मांगा। अदालत ने राज्य सरकार को समय देते हुए कार्रवाई रिपोर्ट देने के लिए कहा। गौरतलब है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने माना था कि ये 19 भवन पूरी तरह से अवैध हैं और अदालत ने इस संबंध में प्रमुख यूडीएच सचिव की कमेटी बनाकर उसे रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

वहीं 12 भवनों को आंशिक तौर पर अवैध माना था। दरअसल हाईकोर्ट ने शहर के परकोटे में आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य सरकार व नगर निगम से रिपोर्ट देने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि रिहायशी इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां चलाना पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में हाईकोर्ट के 25 फरवरी के 19 भवनों को सील करने वाले आदेश और 10 मार्च 2025 के आदेश में दखल से इंकार करते हुए प्रभावितों की एसएलपी को खारिज कर दिया था।

- **हाईकोर्ट ने जयपुर परकोटे के रिहायशी इलाके में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सख्ती दिखाई**

लम्पी रोग से गौवंश को बचाने की पूरी तैयारी : मंत्री जोराराम कुमावत

जयपुर। पशुपालन, गौ-पालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि लंपी रोग के बारे में किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार लंपी रोग के प्रति पूरी तरह सतर्क है और इसकी रोकथाम के लिए सभी एहतियाती कदम उठा रही है। पशुपालकों को इस बीमारी से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, विभाग अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहा है और जहां भी कुछ ऐसे केस मिल रहे हैं वहां तुरंत सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इस वर्ष अन्य राज्यों से सटे सीमावर्ती जिलों में लंपी के कुछ छिटपुट केस देखने में आ रहे हैं। इन सीमावर्ती जिलों में त्वरित कार्यवाही के लिए आर.आर.टी. का गठन कर दिया गया है। विभाग में प्रचुर मात्रा में औषधियां भी उपलब्ध हैं। रोगी गौवंश को अविलम्ब आइसोलेशन कर समुचित उपचार की व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित कर ली गई है। वर्तमान में स्थिति पूर्णत: नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि रोग को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें से टीकाकरण और जागरूकता अभियान मुख्य हैं। टीकाकरण इस रोग से बचाव का एक प्रमुख हथियार है इसलिए राज्य सरकार ने पशुओं के टीकाकरण पर जोर दिया जिससे रोग के प्रसार को समय रहते रोका जा सके।

2 क्विंटल डोडा-चूरा तस्करी में लिप्त दंपत्ति व बेटा गिरफ्तार

जयपुर। आतंकवाद निरोधक दस्ता राजस्थान जयपुर (एटीएस) टीम ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की सप्लाई का काम करने वाले इनामी शातिर तस्कर को उसकी पत्नी और बेटे सहित गिरफ्तार किया है। जिस के चलते इन पर पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं की ओर से आरोपित पर बीस हजार का इनाम रखा हुआ था। एटीएस की टीम ने दो माह तक इन पर नजर रखी जिस के बाद इनकी गिरफ्तारी की।

एटीएस पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विकास कुमार ने बताया कि एटीएम टीम ने सीकर जिले से वर्ष 2024 में करीब 2 क्विंटल डोडा चूरा के तस्करी के मामले में फरार शेखावाट कॉलोनी चूरू निवासी आरिफ हुसैन,उसकी पत्नी शहनाज बानो सहित बेटे जाबिद को एटीएस की टीम ने झुंझुनू जिले के बिसाऊ पुलिस थाना के पास से पकड़ा है।

गिरफ्तार इनामी तस्कर आरिफ हुसैन अपने बेटे जाबिद के नाम से रजिस्टर्ड ट्रक (कंटेनर) से मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी में लिप्त होने पर फरार चल रहा था। आरीफ हुसैन कम पढ़ा लिखा होने के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। मादक पदार्थों की तस्करी की काली कमाई से अपनी पत्नी शहनाज बानो के नाम से इनोवा गाड़ी व बेटे जाबिद के नाम से ट्रक (कंटेनर) खरीदे। मादक पदार्थ तस्करी में फरार आरिफ हुसैन की पत्नी शहनाज बानो व बेटा जाबिद भी फरार चल रहे थे।

इनामी आरिफ हुसैन अपनी पत्नी और बेटे के साथ सीकर में किराए का मकान लेकर मजदूरी करने की जानकारी पुलिस टीम को मिली। पिछले दो महीने से एटीएस की टीम सीकर में आरीफ के किराए के घर की पहचान करने के लिए जुटी हुई थी। जैसे ही किराए पर रहने की पुष्टि हुई पुलिस टीम ने दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार किया।

- **झुंझुनूं पुलिस ने इन आरोपियों पर 20 हजार रुपए का इनाम रखा हुआ था**
- **तस्करी की काली कमाई से आरोपी आरिफ हुसैन ने अपनी पत्नी शहनाज बानो के नाम से इनोवा गाड़ी तथा बेटे जाबिद के नाम से ट्रक खरीदे**

पाइप लाइन के बीच फंसा युवक

जयपुर। गलता गेट थाना इलाके में रोड पार करते समय एक युवक का सतुंलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से युवक डिवाइडर पर पाइप लाइन के बीच में फंस गया। घटना स्थल पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम की करीब आधा घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और उपचार के लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल भिजवाया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया। थानाधिकारी उदय यादव ने बताया कि जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित गणेशपुरी में सड़क के बीचो-बीच डिवाइडर पर पानी की पाइप लाइन डाली हुई है। गुरुवार रात 9 बजे रोड पार करते समय युवक डिवाइडर पर चढ गया और उसका पैर फिसल गया।

पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे ग्रामीण तब दर्ज हुई भू-माफियाओं के खिलाफ एफ.आई.आर.

बस्सी क्षेत्र में भू-माफियाओं के आतंक और अवैध कब्जों की शिकायत लेकर पहुंचे थे लोग

जयपुर (कासं)। बस्सी क्षेत्र में भू-माफियाओं के बढ़ते आतंक और अवैध कब्जों से त्रस्त ग्रामीणों ने आखिरकार पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कमिश्नर ने एसीपी बस्सी को भू-माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

प्रभावित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से सक्रिय भूमाफिया गिरोह उनकी वैध रूप से खरीदी गई दुकानों और भूखंडों पर जबरन कब्जा कर रहा है। भू-माफियाओं ने बाउंड्रीवाल तोड़कर व पक्के निर्माण को ध्वस्त कर भूखंडधारियों को जान से मारने की धमकियां दी।

पीड़ित सतीश सोनी ने बताया कि आरोपी उनकी दुकानें तोड़कर मलबा तक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर ले गए ताकि दुकान का सबूत भी मिटाया जा सके। वहीं, रामदयाल जोगी ने कहा कि वे 20 वर्षों से अपने मकान में रह रहे हैं, बिजली का कनेक्शन भी है, इसके बावजूद लगातार मकान खाली करने और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर गैरकानूनी कब्जे किए और दुकानों व भूखंडों को नुकसान पहुंचाया।

उल्लेखनीय है कि गोनेर रोड स्थित सिमरन वाटिका में वर्ष 2005 में भूमि विक्रय हुई थी। इसके बाद से लोगों ने मूल खातेदारों से भूखंड खरीदकर कॉलोनी विकसित की और निर्माण कार्य किया। पीड़ितों का कहना है कि इस कॉलोनी में 20 से अधिक लोगों ने भूखंड और दुकानें खरीदी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस दोषियों की गिरफ्तारी कर उचित कार्रवाई नहीं करती तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।

पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीणों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें रामबाबू शर्मा, कमल कुमार शर्मा, मुकेश मीना और बाबूलाल मीना समेत कई लोगों पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने और मारपीट कर डराने-धमकाने का आरोप है। पूर्व में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पीड़ित ने एसीपी विनय डी.एच. से भी शिकायत की थी। इसके बाद एसीपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और भू-माफियाओं की अवैध गतिविधियों को तुरंत रोकने के निर्देश दिए थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व विधायक प्रत्याशी चन्द्रमोहन मीना ने भी पीड़ितों से फोन पर बात कर हर संभव मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश शर्मा ने बताया कि पीड़ितों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को कोर्ट में पेश कर दावा किया जाएगा। उन्होंने भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जों को गलत ठहराते हुए पीड़ितों को हरसंभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया।

बस्सी क्षेत्र में भू-माफियाओं की शिकायत लेकर स्थानीय ग्रामीण पुलिस के पास पहुंचे।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कस्टम्स आयुक्त द्वारा 14 वर्ष पहले दिए गए ''कारण बताओ नोटिस'' और न्यायिक कार्रवाई रद्द की

वर्ष 2022 में कंपनी के मालिक के पुत्र के खिलाफ ''टैक्स'' ब्याज व पेनल्टी वसूलने के आदेश को भी रद्द किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिल्ली में स्थित ''कस्टम के आयुक्त'' द्वारा एक कंपनी को वर्ष 2008 में दिए गए ''कारण बताओ नोटिस'' पर 14 साल बाद न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई शुरू करने तथा वर्ष 2022 में कंपनी के मालिक के पुत्र के खिलाफ ''टैक्स'' ब्याज व पेनल्टी वसूलने के आदेश को रद्द किया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में कंपनी के मूल मालिक की वर्ष 2021 में मृत्यु हो गई थी और उनके पुत्र ने अपने पिता से विरासत में उनकी कंपनियों का मालिकाना हक भी प्राप्त नहीं किया था।

इस मामले के तथ्य के अनुसार याचिकाकर्ता शिवेक शर्मा के पिता पवन कुमार शर्मा ''मैसर्स मीनाक्षी इंटरनेशनल जयपुर'' के मालिक थे। यह कंपनी गारमेंट्स, लेदर और ब्रास आइटम्स का व्यवसाय करती थी। इस कंपनी के खिलाफ वर्ष 2006 में हुई एक शिकायत के आधार पर कस्टम विभाग ने एक जांच शुरू की थी। इस शिकायत के आधार पर दिसंबर 2006 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने उक्त कंपनी के ठिकानों पर छापे मारे थे। इसी जांच के दौरान, वर्ष 2001 से 2005 के बीच उक्त कंपनी तथा ''जे.एस. इंटरनेशनल'' ''मैसर्स कनिष्का इंटरनेशनल'' और इनके मालिकों को भी ''कारण बताओ नोटिस'' भेजे गए थे।

हैरानी की बात है कि इस ''कारण बताओ नोटिस'' को जारी करने के 13 साल बाद तक कस्टम आयुक्त ने इस प्रकरण में किसी भी तरह की न्यायिक प्रक्रिया आरंभ नहीं की थी। इसी बीच 22 अप्रैल 2021 को पवन कुमार शर्मा का निधन हो गया था, परंतु उनके पुत्र, जिसने अपने पिता की मृत्यु के उपरांत, उक्त कंपनी का मालिक आना भी प्राप्त नहीं किया था, उसे कस्टम्स के आयुक्त द्वारा 2008 में भेजे गए ''कारण बताओ नोटिस'' के मामले में सुनवाई के लिए बुलाया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में पवन कुमार शर्मा के पुत्र की उम्र 13 वर्ष की थी।

याचिकाकर्ता शिवेक शर्मा ने कस्टम के आयुक्त को मामले की जानकारी नहीं होने के बारे में कहा। साथ ही यह भी कहा कि मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूं। विभाग द्वारा दिए गए उस ''कारण बताओ'' नोटिस की कॉपी भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। परंतु कस्टम्स आयुक्त ने इन तमाम दलील और तर्कों को अनसुना कर दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने कम से कम 3 बार कस्टम्स के आयुक्त को पत्र लिखे थे कि उसे उक्त कंपनी के व्यवसाय में लेनदेन की जानकारी नहीं है और ना ही समझ है। परंतु आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता की सभी दलीलों और तर्कों को दरकिनार किया।

शिवेक शर्मा की ओर से कस्टम्स आयुक्त को यह भी बताया गया कि पिता की मृत्यु उपरांत उनके पुत्रों पर कस्टम के टैक्स की देनदारी का भार नहीं डाला जा सकता है। इसलिए कस्टम विभाग को यह कार्यवाही यहीं रोक देनी चाहिए। उक्त मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका ने बताया कि कस्टम्स एक्ट 1962 में कारण बताओ नोटिस पर न्यायिक कार्रवाई शुरू करने या उसे अंजाम देने की कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है, परंतु इसी कानून की धारा 28 में लिखा गया है कि नोटिस जारी किए जाने के 6 महीने के भीतर ही न्याय कार्यवाही शुरू की जाए और एक वर्ष के भीतर ही इस न्यायक प्रक्रिया में सुनवाई को खत्म किया जा सकता है।

अदालत ने इस मामले में कस्टम्स आयुक्त के रवैये के खिलाफ कई कड़ी टिप्पणियां की है। पहला कि, उन्होंने 14 साल बाद ''कारण बताओ'' नोटिस पर न्यायिक सुनवाई क्यों शुरू की? दूसरा कि, कार्रवाई में एक दशक के विलंब पर चुप्पी क्यों साधे रखी। तीसरा, याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार जांच के विषय में पूछने पर अंधेरे में क्यों रखा गया और उसके द्वारा दिए गए तर्कों को दरकिनार क्यों किया गया? मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम और न्यायाधीश मनीष शर्मा की खंडपीठ ने अपनी कठोर टिप्पणियां रिकॉर्ड करते हुए कस्टम के आयुक्त द्वारा दिए गए ''कारण बताओ नोटिस'' और उस पर की गई न्यायिक कार्रवाई को रद्द किया है।

- **अदालत ने इस मामले में कस्टम्स आयुक्त के रवैये पर कई कड़ी टिप्पणियां की। अदालत ने कहा कि, 14 साल बाद ''कारण बताओ'' नोटिस पर न्यायिक सुनवाई क्यों शुरू की? कार्रवाई में एक दशक के विलंब पर चुप्पी क्यों साधे रखी। याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार जांच के विषय में पूछने पर अंधेरे में क्यों रखा गया और उसके द्वारा दिए गए तर्कों को दरकिनार क्यों किया गया?**

सार-समाचार

पशु चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण

जयपुर। पशुपालन विभाग द्वारा भारत सरकार की असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज (एस्केड) योजना के अंतर्गत राज्य रोग निदान केंद्र के तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारियों को फॉरेंसिक आस्पेक्ट ऑफ वेट्रो लीगल केसेज के पहलुओं के साथ साथ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। दो चरणों में संपन्न दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रदेश भर से कुल 185 पशु चिकित्सकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के आयोजन में राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान तथा एस एम एस मेडिकल कॉलेज की भी सहभागिता रही। राज्य रोग निदान केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉ लोकेश शर्मा ने बताया कि राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के विषय विशेषज्ञों ने प्रशिक्षणार्थियों को फॉरेंसिक पहलुओं के साथ साथ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आदि विषयों के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के दौरान सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज द्वारा ब्रूसेल्ला, लेप्टोस्पाइरोसिस और स्क्रब टाइफस जैसे जूनोटिक रोगों के जांच हेतु प्रशिक्षणार्थियों का ब्लड सैंपल लिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पशु चिकित्सकों को संबोधित करते हुए विभाग के निदेशक डॉ आनंद सेजरा ने कहा कि पशु चिकित्सा न्यायशास्त्र वह क्षेत्र है जो पशु चिकित्सा कानून, नैतिकता, और कानूनी मामलों से संबंधित है, जिसमें पशुओं के उपचार के दौरान हुई लापरवाही या दुर्व्यवहार के कानूनी निहितार्थ और पशु-कानूनी मामलों में पोस्टमार्टम और कानूनी रिकॉर्ड का प्रबंधन शामिल है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों के क्षमतावर्द्धन के लिए इस तरह के प्रशिक्षण के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उल्लेखनीय है कि एस्केड योजना का मुख्य उद्देश्य प्रमुख रोगों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु टीकाकरण, टीका उत्पादन तथा रोग निदान की सुविधाएं पशुपालकों को उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक हानि से बचाना है।

युवा साथी केन्द्रों के कार्मिकों को प्रशिक्षण

जयपुर। राजस्थान यूथ बोर्ड, युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इन केंद्रों के नव नियुक्त संस्था-आधारित कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन राजस्थान यूथ बोर्ड एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज कुमार पवन उपस्थित रहे। उन्होंने विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हुए बताया कि सभी संभाग स्तर पर संचालित युवा साथी केंद्रों के माध्यम से जिलों के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं तक युवा साथी के उद्देश्य ''शिक्षा, उद्यिमता, मनोरंजन, रोजगार एवं सशक्तिकरण'' पर आधारित जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे। डॉ. पवन ने कहा कि युवा साथी राजस्थान सरकार की एक अभिनव पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को जोड़कर, मार्गदर्शन देकर उन्हें विकसित भारत 2047 के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। राजस्थान यूथ बोर्ड के सदस्य सचिव कैलाश चन्द पहाड़िया ने 'युवा साथी' कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों पर तकनीकी प्रेज़ेंटेशन प्रस्तुत किया तथा नव नियुक्त कर्मचारियों को प्रेरित किया। यूनिसेफ, राजस्थान कार्यालय की चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हेमाली ने किशोर-किशोरियों एवं बच्चों से संबंधित सुरक्षा और संरक्षण पर विस्तृत जानकारी दी। तकनीकी सत्र के दौरान यूनिसेफ, राजस्थान कार्यालय के स्टेट कंसल्टेंट धर्मेंद्र कुमार, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर राखी, तथा स्मृति कुशवाहा (युवा साथी) ने कार्यक्रम के एवं रिपोर्टिंग सिस्टम पर विस्तृत चर्चा की। इसी क्रम में निधि (कंसल्टेंट) ने युवा नीति पर अपने विचार रखे। अमित ने 'युवा साथी पोर्टल' की जानकारी दी। कार्यक्रम में सभी संभागीय युवा साथी केंद्रों के संचालन प्रमुखों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार

जयपुर। प्रताप नगर थाना ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चोरी करने वाले दो वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चार चोरी के दुपहिया वाहन भी बरामद किए गए है। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि प्रताप नगर थाना ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चोरी करने वाले आशीष कलवाल निवासी सांगानेर जयपुर और पुखराज गुर्जर निवासी टोंक को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चुराए गए चार दुपहिया वाहन भी जब्त की है। पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है।